

भारतीय होटल निगम लिमिटेड
Whistle Blower Policy

1 प्रस्तावना:-

यह Whistle Blower Policy अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन के हिस्से के रूप में तैयार की गई है और होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। कंपनी। के कर्मचारियों और निदेशकों को अच्छे विश्वास, किसी भी अनैतिक कार्य या किसी भी गलत आचरण रिपोर्ट करने का एक अवसर प्रदान करने के लिए है।

डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी के पास कर्मचारियों और अन्य लोगों के संरक्षण, अनैतिक व्यवहार, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी या कंपनी की आचारसंहिता या नैतिकता नीति के उल्लंघन के लिये अपनी Whistle Blower Policy होगी। इस तंत्र को कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने के लिए आवश्यक है, जो इस तंत्र का लाभ उठाते हैं वे लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधे पहुँच सकते हैं।

इस नीति का उद्देश्य संगठन में पारदर्शिता और विश्वास की संस्कृति का निर्माण और मजबूत करना है और कर्मचारियों और निदेशकों को अनुचित गतिविधियों की जिम्मेदार और सुरक्षित रिपोर्टिंग के लिए प्रक्रिया प्रदान करना और कर्मचारियों की रक्षा करना है। कंपनी के भीतर अनुचित गतिविधि / गंभीर अनियमितताओं के बारे में चिंता करना है।

यह नीति कर्मचारियों और निदेशकों को उनके काम के दौरान गोपनीयता के अपने कर्तव्य से नहीं हटाती है। यह व्यक्तिगत शिकायत उठाने का मार्ग भी नहीं है।

2 परिभाषाएँ

- a) लेखा परीक्षा समिति :- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसार कंपनी के निदेशक मंडलद्वारा गठीत एक समिति और इसके तहत बनाए गए नियम, सेबी के विनियमन 22 (Listing Obligations & Disclosure Requirements) विनियम, 2015 के साथ पढ़ें।
- b) सक्षम प्राधिकारी :- सक्षम प्राधिकारी का अर्थ कंपनी का अध्यक्ष है और इसमें किसी भी व्यक्ति को शामिल किया जाएगा, जिसे वह समय समय पर इस नीति के तहत सक्षम प्राधिकारी के रूप में अपनी किसी भी शक्ति को सौंप सकता है।
- c) कर्मचारी :- कर्मचारी का अर्थ है हर स्थायी कर्मचारी या अस्थायी या अंशकालिक कर्मचारी या परीवीक्षाधीन या विकल्प के रूप में या अधिकारी या अधिकारी के रूप में या पर्यवेक्षी या गैर-पर्यवेक्षी कर्मचारी

के रूप में या क्लर्क या तकनिशियन या कुशल, अध-कुशल और अकुशल श्रमिक के रूप में वर्गीकृत या कंपनी के निदेशकों सहित भारत या विदेश में काम करना है ।

d) अनुचित गतिविधि:- अनुचित गतिविधि का मतलब कंपनी के किसी कर्मचारी द्वारा की जाने वाली गतिविधि है, जो उसके अधिकारिक कर्तव्य के निष्पादन में किया जाता है, चाहे वह अधिनियम उसके या उसके रोजगार के दायरे में हो या नहीं और यह किसी भी कानून या उल्लंघन का उल्लंघन है । कर्मचारी पर लागू आचरण के नियम, जिसमें अधिकार का दुरुपयोग, अनुबंध का उल्लंघन, कंपनी डेटा का हेरफेर, गोपनीय / मालिकाना जानकारी का उल्लंघन, अपराधिक अपराध, भ्रष्टाचार, रिश्वत, चोरी, रूपांतरण या कंपनी की संपत्ती का दुरुपयोग, तक सिमित नहीं है, तथा धोकेबाजी का दावा, धोखाधड़ी या वसीय करने के लिए चूक करना या जो आर्थिक रूप से बेकार है या जिसमें सकल कदाचार, अक्षमता या सकल अक्षमता और कोई अन्य अनैतिक पक्षपातपूर्ण या अनुचित कार्य शामिल है ।

e) जाँचकर्ता :- जाँचकर्ताओं का मतलब उन व्यक्तियों से है जो प्राधिकृत, नियुक्त, परामर्शित या संपर्क /संपर्क प्राधिकरण द्वारा संरक्षित प्रकटीकरण की जाँच के सिलसिले में संपर्क करते हैं या कंपनी के लेखा परीक्षकों को शामिल करते हैं ।

f) संरक्षित प्रकटीकरण :- संरक्षित प्रकटीकरण का अर्थ है कि किसी संचार में अच्छी तरह से किया गया संचार जो अनैतिक या "अनुचित गतिविधि" का प्रमाण दे सकता है, जो जानकारी का खुलासा या प्रदर्शित करता है ।

g) सेवा नियम :- सेवा नियमों का अर्थ है प्रबंधन कर्मचारियों के मामले में आचरण, अनुशासन और अपील के नियम और प्रबंधन कर्मचारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के मामले में लागू स्थायी आदेश ।

h) विषय:- विषय का अर्थ है एक कर्मचारी - अधिकारी /कर्मकार/प्रबंधन जिसके विरुद्ध या किसी जाँच के दौरान एकत्रित किए गए साक्ष्य को संरक्षित किया गया है ।

i) Whistle Blower:- Whistle Blower का मतलब है इस नीति के तहत एक कर्मचारी, एक संरक्षित प्रकटीकरण करना ।

3 पात्रता:-

कंपनी के सभी कर्मचारी और निदेशक "संरक्षित प्रकटीकरण" करने के लिए पात्र हैं ।

4 मार्गदर्शक सिद्धांत

a) संरक्षित प्रकटीकरण समयवध्द तरीके से किए जाते हैं ।

b) Whistle Blower की पूरी गोपनीयता बनाए रखी जाती है ।

- c) Whistle Blower और / या protected disclosure को प्रोसेस करनेवाले व्यक्ति को पिडीत के अधीन नहीं किया जाता है।
- d) संरक्षित प्रकटकिरण के साक्ष्य को छुपाया नहीं जाता है और साक्ष्य छुपाने या नष्ट करने के प्रयासों के मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाईसहित उचित कार्रवाई की जाती है।
- e) संरक्षित प्रकटकिरण का विषय यानि उस व्यक्ति के विरुद्ध या जिसके संबंध में संरक्षित प्रकटकिरण किया गया है, उस सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है।

5 Whistle Blower भूमिका और अयोग्यता

A) भूमिका

- a) विश्वसनीय जानकारी के साथ Whistle Blower भूमिका एक रिपोर्टिंग पार्टी की है।
- b) उसे अपने दम पर किसी भी जाँच का संचालन करने की आवश्यकता या अपेक्षा नहीं है।
- c) Whistle Blower को जाँच में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है और संरक्षित प्रकटीकरण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित रूप से निपटाया जाएगा।
- d) Whistle Blower को कानूनी या अन्य कारणों से आगे निकलने के अलावा उसके प्रकटीकरण के बारे में सूचित करने का अधिकार होगा।

B) अयोग्यता

- a) निचले स्तर के Whistle Blower को किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार/उत्पीडन से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। हालांकि, इस संरक्षण का कोई भी दुरुपयोग, अनुशासनात्मक कार्रवाई को चुनौती देगा।
- b) Whistle Blower जो किसी भी संरक्षित प्रकटीकरण करते हैं, जो वाद में प्रेरित या दुर्भावनापूर्ण या मूर्खतापूर्ण, आधारहीन या रिपोर्ट में सद्भाव में पाए गए हैं, लागू सेवा नियमों/स्थायी आदेशों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे।
- c) Whistle Blower जो तीन संरक्षित Disclosure बनाते हैं, वाद में अच्छे विश्वास की तुलना में खराब, तुच्छ, आधारहीन, दुर्भावनापूर्ण या रिपोर्ट किए पाए हैं, उन्हें इस नीति के तहत आगे protection disclosure को रिपोर्ट करने से अयोग्य घोषित किया जाएगा।
- d) कंपनी के पास संरक्षित जाँच के पश्चात जाँच न करने का अधिकार सुरक्षित है।

6 प्रकटीकरण

- 1 व्यक्तिगत शिकायतों से संबंधित खुलासे
- 2 यौन उत्पीडन से संबंधित खुलासे
- 3 एच आर संबंधित मुद्दों से संबंधित जैसे वेतन, performance विकास
- 4 अनिवार्य जानकारी का पालन किए बिना संरक्षित प्रकटीकरण।

- नाम, पदनाम और घटना का स्थान
- घटना का विस्तृत विवरण
- घटना का स्थान और समय / अवधि
- विशिष्ट साक्ष्य या साक्ष्य के स्रोत

5 प्रक्रियाएँ - आवश्यक और संरक्षित प्रकटीकरण से निपटने 8-

- कोई भी कर्मचारी या निदेशक जो किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या कथित गलत आचरण का अवलोकन करता है, उसे जल्द से जल्द या कैलेंडर के 60 दिनों तक प्रकटीकरण करना होगा ।
- संरक्षित प्रकटीकरण/शिकायत पत्र को Whistle Blower/ शिकायतकर्ता की पहचान के साथ संलग्न किया जाना चाहिए अर्थात् उसका नाम, कर्मचारी संख्या और स्थान, प्रतियोगि प्राधिकारी को संबोधित एक बंद/ सुरक्षित/ सील लिफाफे में होना चाहिए (यदि लिफाफा बंद/ सुरक्षित/ सील नहीं है, तो इस नीति के तहत Whistle Blower को सुरक्षा प्रदान करना संभव नहीं होगा ।
- Whistle Blower का मानना है कि, यदि सक्षम प्राधिकारी और Whistle Blower के बीच हितों का टकराव है, तो वह सीधे कंपनी के बोर्ड की ऑडिट कमिटी को /कंपनी के सचिव को अपना संरक्षित खुलासा भेज सकता है ।
- बेनामी या झूठ नाम को संरक्षित प्रकटीकरण का विचार नहीं किया जाएगा ।
- संरक्षित प्रकटीकरण या तो टाईप किया जाना चाहिए या अंग्रेजी, हिंदी या Whistle Blower के स्थान के क्षेत्रीय भाषा में लिखित होनी चाहिए और उसमें शामिल अनुचित गतिविधि या मुद्दे स्पष्ट होने चाहिए ।
- संरक्षित प्रकटीकरण तथ्यात्मक होना चाहिए, न की किसी निष्कर्ष पर या किसी निष्कर्ष की प्रकृति में और साथ ही साथ उचित मूल्यांकन के लिए यथासंभव विशिष्ट जानकारी होनी चाहिए ।

7 जाँच और जाँचकर्ताओं की भूमिका

संरक्षित प्रकटीकरण प्राप्त होने पर, सक्षम प्राधिकारी कवर पत्र को अलग करेगा और Whistle Blower की प्रामाणिकता की पुष्टि करेगा । पुष्टि प्राप्त होने पर, संरक्षित प्रकटीकरण जाँच के लिए जाँचकर्ताओं को भेजा जा सकता है ।

A) जाँच :-

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक समीक्षा के पश्चात की जाँच शुरू की जाएगी जो इसे स्थापित करती है :-
- कथित अधिनियम एक अनुचित या अनैतिक गतिविधि या आचरण का गठन करता है, और

- ii) आरोप की जाँच की जा रही सूचना के लिए पर्याप्त रूप से समर्थित है या ऐसे मामलों में जहाँ आरोप विशिष्ट जानकारी द्वारा समर्थित नहीं है, यह महसूस किया जाता है कि संबंधित मामला समीक्षा का पात्र है ।
- b) यदि सक्षम प्राधिकारी निर्धारित करता है कि, जाँच वॉरंट नहीं है, तो इस तरह के निर्धारण के लिए कारणों को लिखित रूप में दर्ज किया जाएगा ।
- c) यदि सक्षम प्राधिकरण प्राथमिक स्तर पर संतुष्ट है कि कथित अनुचित गतिविधि के संरक्षित प्रकटीकरण वॉरंट की जाँच करते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी कंपनी की उचित जाँच करने का निर्देश देगा ।
- d) सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई जाँच का निर्णय स्वयं आरोप के रूप में नहीं लेना है और इसे एक तटस्थ खोज प्रक्रिया के रूप में मानना है ।
- e) विषय और Whistle Blower की पहचान को कानून की वैध आवश्यकताओं और जाँच को देखते हुए गोपनीय रखा जाएगा ।
- f) आम तौर पर विषयों को औपचारिक जाँच की शुरूवात में आरोपों की सूचना दी जाएगी और जाँच के दौरान उनके इनपुट प्रदान करने के अवसर दिए जाएंगे ।
- g) संबंधित विषय पर जाँच के दौरान सक्षम प्राधिकारी या किसी भी जाँचकर्ता के साथ सहयोग करने का कर्तव्य होगा । इस तरह के सहयोग लागू कानून के तहत उपलब्ध आत्म-सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे ।
- h) विषय का दायित्व है कि वह जाँच में हस्तक्षेप न करें । साक्ष्य को प्रभावित, नष्ट या छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा और गवाहों को प्रभावित नहीं किया जाएगा तथा धमकाया नहीं जाएगा ।
- i) जब तक मजबूर करने वाले कारण नहीं होते, तब तक जाँच रिपोर्ट में भौतिक निष्कर्षों का जवाब देने के लिए अवसर दिया जाएगा । जब तक आरोप के समर्थन में कोई अच्छा सबूत न हो, तब तक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ गलत काम का आरोप नहीं माना जाएगा ।
- j) जाँच के परिणाम के बारे में विषय का अधिकार होना चाहिए ।
- k) संरक्षित प्रकटीकरण की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर जाँच पूरी होनी चाहिए या सक्षम प्राधिकरण रिकॉर्ड किए जाने वाले कारणों के लिए समय बढ़ाने की अनुमति दे सकता है ।

B) जाँचकर्ताओं की भूमिका

- a) जाँचकर्ताओं को तथ्य-खोज और विश्लेषण की दिशा में एक प्रक्रिया का संचालन करना आवश्यक है । जो जाँचकर्ता अपने प्राधिकरण को ऑडिट कमिटी/सक्षम प्राधिकारी से, उनकी जाँच के दौरान प्राप्त करेंगे ।
- b) सभी जाँचकर्ता स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से अपनी भूमिका निभाएंगे । जाँचकर्ताओं का निष्पक्षता, संपूर्णता, नैतिक व्यवहार और मानकों का पालन करना कर्तव्य है ।

8 सुरक्षा:-

Whistle Blower की पहचान गोपनीय रखी जाएगी ।

- a) इस निती के तहत किसी protest disclosure के आधार पर, Whistle Blower से कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया जाएगा ।
- b) प्रतिशोध, धमकी या सेवा की समाप्ति/निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, स्थानांतरण, पदावनति, पदोन्नति से इन्कार या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षके जरिए प्राधिकरण में बाधा डालने के लिए या किसी भी अनुचित व्यवहार के खिलाफ Whistle Blower को पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी । Whistle Blower को अधिकार है कि वह आगे चलकर संरक्षित प्रकटीकरण सहित अपने कर्तव्यों तथा कार्यों को जारी रखे ।
- c) यदि Whistle Blower को आपराधिक या अनुशासनात्मक कार्यवाही में सबूत देने की आवश्यकता है, तो उचित प्रक्रिया के बारे में सलाह प्राप्त करने के लिए Whistle Blower की व्यवस्था की जाएगी ।
- d) Whistle Blower सक्षम अधिकारी को उपरोक्त खंड के किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकता है और उसकी जाँच कर सकता है और आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कार्रवाई कर सकता है ।
- e) उक्त जाँच में सहायता करने वाले किसी अन्य कर्मचारी को भी की Whistle Blower तरह संरक्षित किया जाएगा ।

9 कार्रवाई

- a) यदि सक्षम प्राधिकरण की राय है कि, जाँच अनुचित गतिविधि के अस्तित्व का खुलासा करती है जो कानून में दंडनीय अपराध है । सक्षम प्राधिकारी संबंधित प्राधिकरण को निर्देश दे सकता है कि वह लागू सेवा नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई करें और वैधानिक प्रावधान लागू करें ।
- b) सक्षम प्राधिकारी की राय है कि यदि जाँच अनुचित गतिविधि के अस्तित्व का खुलासा करती है जो संबंधित कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का वारंट करती है, तो सक्षम प्राधिकारी उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकरण को मामले की रिपोर्ट करेगा ।
- c) संरक्षित प्रकटीकरण झूठा, प्रेरित या धिनौना है इस बात से यदि सक्षम प्राधिकारी सहमत है तो Whistle Blower के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकरण को मामले की रिपोर्ट कर सकता है ।
- d) सक्षम प्राधिकारी ऐसी अन्य सुधारात्मक कार्रवाई करेगा जैसे कि संरक्षित प्रकटीकरण में उल्लिखित अनुचित गतिविधि को मापने के लिए या इस तरह की अनुचित गतिविधि की पुनः घटना को रोकने के लिए उपयुक्त हो ।
- e) यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में अगर जाँच में पता चलता है कि संरक्षित प्रकटीकरण पर आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो वह लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा ।

७ संशोधना-

कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अपनी ऑडिट कमिटी की माध्यम से किसी भी समय इस पॉलिसी को संशोधित या निरस्त किया जाएगा ।